

न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नम्बर मु. 01/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/2

निर्णय दिनांक 26.04.2022

रामचन्द्र पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी घुमनहेड़ा नई दिल्ली - 73

- प्रार्थी -

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति झंवर निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. अजयसिंह पुत्र चेतनराम - अप्रार्थी -
4. कुनाल पुत्र चेतनराम
5. जितेन्द्र पुत्र सुन्दरसिंह
6. जोगेन्द्र पुत्र सुन्दरसिंह
7. रोशनी पत्नी स्व. प्रकाशचन्द्र
8. सुनिल कुमार पुत्र सुभराम

जाति जाट निवासी घुमनहेड़ा नई दिल्ली
73

उपस्थिति:-

- गौण अप्रार्थीगण -

1. श्री पूनचन्द्र मारू अभिभाषक-प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल सोनी अप्रार्थी संख्या 2
3. श्री बृजलाल बारोटिया अप्रार्थी संख्या 3 ता 8
4. पैरोकारराज अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि " गांव जैसलसर की रोही में स्थित खसरा नम्बर 93/1 तादादी 20 बीघा 06 बिस्वा की खातेदारी रामगोपाल पुत्र चंदनमल जाति माहेश्वरी (सोमानी) निवासी श्रीडूंगरगढ़ के नाम से थी। रामगोपाल ने उक्त खातेदारी की भूमि में से उतरी 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई। जो नेशनल हाईवे नम्बर के उत्तरी तरफ की भूमि को विक्रय किया गया। उक्त खसरा की शेष 15 बिघा 11 बिस्वा भूमि चेतनराम पुत्र नन्दराम, रामचन्द्र पुत्र जयकिशन, सुनिल कुमार पुत्र सुभराम, सुन्दरसिंह पुत्र हीरालाल 1/2 हिस्सा व रोशनी पत्नी प्रकाशचन्द्र 1/2 हिस्सा जाति जाट निवासीगण घुमनहेड़ा नई दिल्ली 73 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा सड़क नेशनल हाईवे नम्बर 11 के दक्षिणी तरफ की विक्रय कर दी।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर वर्तमान में 251 कायम हो गये तथा प्रार्थी व सहखातेदारों के वर्तमान खसरा नम्बर 605/247 कायम हो गये, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/8 है। प्रार्थी का खेत वर्तमान खसरा नम्बर 605/247 के उतर में नेशनल हाईवे नम्बर 11 स्थित हैं। प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि का भू-रूपान्तरण करवाने के लिए रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के व नेशनल हाईवे नम्बर 11 के बीच में एक खसरा नम्बर 604/247 तादादी 0.30 हैक्टेयर दर्शाया गया है, जबकि प्रार्थी पर उक्त खसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौका मुआयना किये, खसरा नम्बर 604/247 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 605/247 व नेशनल हाईवे नम्बर 11 के बीच में अंकित कर दिया, जो रिकार्ड व मौका पर कभी रहा




उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ही नहीं हैं। खसरा नम्बर 604/247 का कभी अस्तित्व ही नहीं रहा है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा त्रुटी स्वरूप खसरा नम्बर 604/247 तरमीम करने से व प्रार्थी का खेत नेशनल हाईवे नम्बर 11 के टच नहीं होने के कारण भू-रूपान्तरण करने में परेशानियां पैदा हो रही हैं। सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा की गलत तरमीम कर मौका स्थिति के विपरीत खसरा नम्बर 604/247 दर्शाया गया है, जिसे दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को आदेशित कर मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जाकर शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत न कर प्रारम्भिक आपति दिनांक 13.04.2022 को प्रस्तुत की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 को जबाब का पर्याप्त अवसर दिया गया, उसके बावजूद अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत नहीं किया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी ने सीधी ही बहस का निवेदन किया गया। गौण अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। जो स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गई विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये, कथन किया कि "प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 93/1 तादादी 15 बीघा 11 बिस्वा रोही मौजा जैसलसर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी तथा दौराने बहस पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति का अवलोकन करवाया, जिसमें खेत खसरा नम्बर 93/1 वर्तमान ख0न0 605/247 के उतर में सड़क नेशनल हाईवे नम्बर 11 वर्णित है यानि सड़क के समीप दक्षिण में उक्त भूमि स्थिति हैं। प्रार्थी व गौणअप्रार्थीगण ने उक्त भूमि दिनांक 03.11.2006 को खरीद की थी, भूमि खरीद करने के बाद राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज हो गया तथा मौका पर सड़क नेशनल हाईवे 11 के समीप तक कब्जा, उपयोग व उपभोग चला आ रहा हैं। इसी प्रकार प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा नम्बर 93/1 में से 04 बीघा 15 बिस्वा के विक्रय पत्र दिनांकित 25.02.2005 की फोटो प्रति का अवलोकन करवाया। विक्रय पत्र में उक्त भूमि के दक्षिण में सड़क एन.एच. 11 वर्णित की गई है यानि उतर में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि स्थिति हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि "प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के उतर में सड़क एनएच 11 स्थित है, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने प्रार्थी को बिना सुने ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के उतर व सड़क नेशनल हाईवे नम्बर 11 के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर ख.नं. 604/247 तरमीम कर दिया, जो गलत हैं। मौके पर खसरा नंबर 604/247 का अस्तित्व ही नहीं है। जिसे दुरुस्त किया जाकर राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के उतर में व सड़क के दक्षिण में तरमीम खसरा नम्बर 604/247 को विलोपित किया जाकर प्रार्थी के खेत के उतर में खसरा नम्बर 246 नेशनल हाईवे नम्बर 11 दर्शाया जावें। मूल खातेदार ने सड़क एन.एच.11 के दक्षिण में अप्रार्थी विरेन्द्र को कोई जमीन नहीं बेची है। यह विक्रय पत्र से स्पष्ट है। मूल खातेदार ने एन.एच.-11 के दक्षिण की जमीन प्रार्थीगण को बेची है। सेटलमेन्ट 2061 के दौरान गलती से एन.एच. -11 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 02 की जमीन गलत रूप से दर्शा दी गई। जो एक विलोपिकीय भूल है जिसेको हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है, वर्तमान नक्शे में प्रार्थी के खेत के उतर व एन.एच.-11 के बीच गलत रूप से अप्रार्थी की जमीन दिखाई दी है। जबकि एन.एच.-11 के दक्षिण में अप्रार्थी की कोई जमीन नहीं है, ना ही उसका कब्जा है। दो बार मौका रिपोर्ट आ चुकी है, दूसरी बार रिपोर्ट अप्रार्थी के आवेदन पर आई है, नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पैमाईश दल ने मौके की रिपोर्ट दी है अप्रार्थी को जरिये अधिवक्ता से



सेटलमेन्ट आयोग
बीकानेरगढ़ (बीकानेर)

सूचित किया गया था। अप्रार्थी की जमीन एन.एच.-11 के उतर में है, अगर अप्रार्थी की जमीन कम हो तो उसे अपनी जमीन की पैमाईश करवाकर विधि अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए सटेलमेन्ट के दौरान हुई गलती का फायदा उठाने का अप्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड दुरुस्त करके निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार ने स्वयं ने मौका नहीं देखा, ना ही मुझे मौका देखने की सूचना दी गई। रिपोर्ट एकतरफा है, प्रार्थी रामचन्द्र ने अपनी सुविधा अनुसार रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी का खेत वर्तमान नक्शा में क्षेत्रफल में पूरा होता है। प्रार्थी रामचन्द्र मुझ अप्रार्थी विरेन्द्र कुमार को रेवन्यू रिकार्ड में नेशनल हाइवे से अन्यत्र फिट कराने का अधिकार नहीं है प्राथमिक आपति में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि " प्रार्थी सता के गलियारों में प्रभाव रखने वाला पैसे वाला व्यक्ति हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष घोषणात्मक के अनुतोष का दावा प्रस्तुत करने से पूर्व प्राप्त नही कर सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध व गैरकानूनी हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।


हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व विक्रय पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताहिद में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा गौण अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समर्थन किया। अप्रार्थी संख्या 02 विरेन्द्र कुमार ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजातो व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के उतर व सड़क नेशनल हाईवे नम्बर 11 के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर ख.नं. 604/24 तरमीम कर दिया, जो गलत हैं।

इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्व नक्शा में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 605/247 के उतर में व सड़क के दक्षिण में तरमीम खसरा नम्बर 604/247 को गलत रूप से तरमीम किया गया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को खेत खसरा नंबर 604/247 को पूर्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र व नक्शा के अनुसार सही जगह तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।




(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (दोकातर)
श्रीडूंगरगढ